IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE G. S. AHLUWALIA

ON THE 20th OF SEPTEMBER, 2024

WRIT PETITION No. 23321 of 2024

SMT. KIRAN VYAS UPADHYAY AND OTHERS

Versus

MADHYA PRADESH SHASAN AND OTHERS

Appearance:

Shri Aditya Upadhyay - Advocate for petitioner through video conferencing.

Shri Swapnil Ganguly - Deputy Advocate General for State..

ORDER

This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking following reliefs:

> "1. प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 1 एवं 3 को निर्देशित, परमादेशित व आदेशित किया जावें कि वह जांच प्रतिवेदन च1 (दिनांक 10.03.2017) एवं च–2 (दिनांक 02.02.2022) के अनुसार संबन्धित दोषियों पर कार्यवाही, एक निश्चित समयसीमा के अंदर करें।
>
> 2. प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 1 को आदेशित व निर्देशित किया जावें कि वह शासन को देय बेरिकों की राशि जमा होने एवं बेरिकों का हस्तांतरण विधिवत संस्था को प्राप्त होने तक संस्था के भूखंड/भूमि/मकान/बैरिक आदि का किसी भी प्रकार से आवंटन/विक्रय पर रोक बाबत उचित आदेश पारित करें। साथ ही बैरिकों का समतलीकरण एवं संस्था की भूमि पर किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण पर रोक भी लगाए।

3. प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 3 को आदेशित व निर्देशित किया जावें कि संस्था की सदस्यता सूची का नियमानुसार संधारण होने तक एवं संस्था की भूमि का सीमांकन होने तक संस्था को अधिक्रमित करते हुये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें एवं संस्था के समस्त अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत ही, नवीन निर्वाचन करवाया जावें।

4. प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 3 को आदेशित एवं निर्देशित किया जावें कि श्रीमति अखिलेश नैन, जांच अधिकारी, शिव गृह निर्माण सहकारी समिति के जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2017 के अनुसार संस्था के दोषि पदाधिकारियों/प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 76 (2) की कार्यवाही की जावें । एवं प्रभारी अधिकारी के द्वारा सदस्यता पाने वाले एवं भूखंड का आवंटन/विक्रय पत्र निष्पादित करवाने वाले क्रेताओं पर भी कार्यवाही कर उक्त अवैध सदस्यता/विक्रय–पत्रो को निरस्त करने की कार्यवाही भी करें।

5. अन्य कोई सहायता भी जो माननीय न्यायालय उचित समझे याचिकाकर्ता को दिलवाई जावें।"

2. In para 1 of the writ petition it has been declared as under:

"1. **<u>आदेश जिसके संबंध में यह याचिका प्रस्तुत की गई हैं :</u>**

1. आदेश दिनांक	:	31.03.2003
प्रकरण क्र.	:	एल.पी.ए. 43/2003
जारी करने वाला	:	माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर
2. आदेश दिनांक	:	09.08.2004
प्रकरण क्र.	:	एस.एल.पी. 19811/2003
जारी करने वाला	:	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
3. सबजेक्ट मेटर	:	दिशात्मक आदेश/परमादेश जारी करने हेतु"

3. It is fairly conceded by counsel for petitioner that petition has not been filed with proper declaration and seeks permission of this Court to withdraw this petition with liberty to file a properly constituted writ petition.

4. With aforesaid liberty, the petition is **dismissed as withdrawn**.

(G.S. AHLUWALIA)
JUDGE

vc

VARSHA CHOURASIYA
Digitally signed by VARSHA CHOURASIYA
DN: c=IN, o=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, ou=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, 2.5.4.20=f460d4685ef5a4622238f0b59b78c2407fd3ee2f619d9ce8e428c224c23ec8ac, postalCode=482001, st=Madhya Pradesh, serialNumber=A0506346908D8FDC4A2DA9968A85B01E1D95EF7D16305535607986268 17C4267, cn=VARSHA CHOURASIYA
Date: 2024.09.20 17:53:54 +05'30'